

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी०पी०एम०-01/2017-

1616

/क०,पटना, दिनांक 29-03-2018

शुद्धि पत्र

कृषि विभाग के राज्यादेश संख्या-पी०पी०एम०-01/2017-4410 दिनांक-14.11.2017 की कंडिका-11 में उल्लेख है कि अनुसूची-1 के अनुसार राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण मद में स्वीकृत राशि की निकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बी०टी०सी० फार्म-42 पर संबंधित कोषागार से की जायेगी एवं अनुसूची-2 तथा कृषि निदेशक, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र, बिहार, पटना के परामर्श के अनुसार संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंता, वर्क्स डिवीजन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को उनके सरकारी खाते में चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2. कंडिका-11 के उपर्युक्त अंश को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“अनुसूची-1 के अनुसार राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण मद में स्वीकृत राशि की निकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बी०टी०सी० फार्म-42 पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बामेती को पी०एल०ए० खाता संख्या-278 में अंतरित की जायेगी। निदेशक, बामेती के द्वारा कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र के परामर्श के अनुसार संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता, वर्क्स डिवीजन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को उनके सरकारी खाते में RTGS/ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।”

3. शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

4. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 1616

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/क०, पटना दिनांक 29-03-2018

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

1616

/क०,

पटना, दिनांक 29-03-2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

1616

/क०,

पटना, दिनांक 29-03-2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

1616

/क०,

पटना, दिनांक 29-03-2018


प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि

(सुधीर कुमार)

विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/संबंधित कार्यपालक अभियंता, वर्क्स डिवीजन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

१

P. Patil


21.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।